

फर्द डिक्री मुकदमात इत्तदाई

आर.रूल्स 6-7 जाफ्ता दीवानी

निर्णय बड्जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 27 / 2022

तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

1. गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र श्री आनन्दीलाल जाति लुहार निवासी ग्राम डाबरीकलां
तहसील सांगोद हाल निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां।
2. शान्तिबाई उर्फ रामकन्याबाई पुत्री श्री आनन्दीलाल बेवा श्री बाबूलाल जाति लुहार
निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम गाडरवाडा नूरजी,
तहसील खानपुर जिला झालावाड।

—वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

—प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :-

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)



दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व
हाजरी श्री नरेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मिन जानिब मुददायल




होकर आदेश दिया जाता है कि -

प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी: सांगोद


4

उपखण्ड अधिकारी
मिनिब (नियंत्रक)

माल ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 502 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 1 का नाम 'गोपाल' के स्थान पर 'गोपाल' एवं वादी कं. 2 का नाम 'शान्तिबाई' के स्थान पर 'रामकन्याबाई' अंकित या जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत होगा।


(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

नेर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।


(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

ब्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

